रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 1973/भाद्र 28, 1895
No 321] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 1973/BHADRA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September 1973

S.O. 507(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Fourth Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, for entry (8) the following entry shall be substituted, namely:—

"(8) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) by a Deputy Director (Tax Credit Export) or a Director in that Department, or a Director in the Central Board of Excise and Customs or a Director in the Central Board of Direct Taxes; or"

[No. F. 3/5/73-Public. I]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1973

का० आ० 507 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) चतुर्थ संशोधन नियम 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 के नियम 2 में, प्रविष्टि (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) में सम्बन्धित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उप-निदेशक (प्रतिदेय कर निर्यात) या निदेशक, अथवा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के निदेशक या केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के निदेशक द्वारा; या

[सं० फा० 3/5/73-पब्लिक-1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MA
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS.